

राज्यसभा के सभापति

प्रलिस के ललल:

अनुच्छेद 89, उपराषट्रपतल, उच्च सदन, राज्य सभा के उपसभापतल, भारतीय संवधान ।

मेन्स के ललल:

राज्यसभा के अध्यक्ष से संबंधतल संवधानकल प्रावधान और शक्तललल ।

चर्चा में कूल?

हाल ही में जगदीप धनखड़ को [राज्यसभा](#) के सभापतल के रूप में चुना गया ।

राज्यसभा के सभापतल

परचल:

- [उपराषट्रपतल](#) राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ।
- राज्यसभा के सभापतल के रूप में उपराषट्रपतल सदन की प्रतषलठा और सम्मान का नरलवलरलध संरक्षक होता है ।

संवधानकल प्रावधान:

- [अनुच्छेद 64](#): उपराषट्रपतल राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा ।
- संवधान के [अनुच्छेद 89](#) में सभापतल (भारत के उप-राषट्रपतल) और राज्यसभा के उपसभापतल का प्रावधान है ।

शक्तललल और कार्य:

- राज्यसभा के सभापतल को कोरम (गणपूर्तल) न होने की स्थतलतल में सदन को स्थगतल करने या उसकी बैठक स्थगतल करने का अधिकार है ।
- संवधान की 10वीं अनुसूची सभापतल को दल-बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का नरलधारण करने का अधिकार देती है ।
- सदन में वशलषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के ललल सभापतल की सहमतल आवश्यक है ।
- संसदीय समतलतललल, चाहे वह सभापतल द्वारा गठतल हूल या सदन द्वारा, सभापतल के नरलदेशन में काम करती हूल ।
- वह सदसूल को वभलनलन स्थायी समतलतललल और वभलग-संबंधतल संसदीय समतलतललल में नामतल करता है । वह कार्य मंत्रणा समतल, नललम समतल और सामान्य प्रयोजन समतल के अध्यक्ष हूल ।
- जहाँ तक सदन में या उससे संबंधतल मामूल का संबंध है, संवधान और नललमों की व्याख्या करना सभापतल का कर्तव्य है और कोई भी ऐसी व्याख्या पर सभापतल के साथ शामिल नहीं हो सकता है ।

सभापतल को पद से हटाना:

- राज्यसभा के सभापतल को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे भारत के उपराषट्रपतल के पद से हटा दलल जाए ।
- जब उपराषट्रपतल को हटाने का संकल्प वचलराधीन हो, वह सभापतल के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता हालाँकल वह सदन में उपस्थतल हो सकता है ।

उपराषट्रपतल से संबंधतल प्रावधान:

उपराषट्रपतल:

- उपराषट्रपतल भारत का दूसरा सर्वोच्च संवधानकल पद है । वह पाँच वर्ष के कार्यकाल के ललल कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्त के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कलउत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर ललल जाता है ।
- उपराषट्रपतल भारत के राषट्रपतल को अपना त्यागपत्र दे सकता है ।
- उपराषट्रपतल को [राज्य प्रषलद \(राज्यसभा\)](#) के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थतल सदसूल के बहुमत से पारतल होता है, साथ ही [लोकसभा](#) की सहमतल आवश्यक होती है । इस प्रयोजन के ललल कम-से-कम 14 दनल का नोटसल दलल जाने के बाद ही

इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

- उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।

■ योग्यता:

- भारत का नागरिक होना चाहिये।
- 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।
- राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।
- केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।

■ नरिवाचक मंडल:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव नरिवाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- नरिवाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - राज्यसभा के नरिवाचक सदस्य।
 - राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
 - लोकसभा के नरिवाचक सदस्य।

■ चुनाव प्रक्रिया:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, नवितमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधिकार, निर्देशन और नियंत्रण भारत नरिवाचन आयोग में निहित है।
 - चुनाव के लिये अधिसूचना नवितमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।
- चूँकि नरिवाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1 (एक)।
- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से नरिवाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।
 - तदनुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिये नरिवाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग ने नरिवाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक नरिवाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2013)

- राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं
- जबकि राष्ट्रपति के नरिवाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के नरिवाचन में मतदान का अधिकार होता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस